14-6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत मुकाम मादेशा प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षी के विरुद्ध धारा 22 R.T.A का प्र0 पत्र अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम अनुपुरा के ख0 नं0 721/0.65 हे0 755/1.09 हे0 764/0.05 765/0.34 हे0 766/0.16 हे0 767/0.19 हे0 768/0.01 775/0.05 हे0 769/0.28 हे0 770/0.12 हे0 771/0.05 हे0 कुल किता 11 रकबा 2.99 हे0 भूमि स्थित होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी के खातेदारी अधिकार की होकर प्रार्थीगण का 1/2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ता... में जारी हुए
	हिस्सा निहीत होकर वाद ग्रस्त आराजियात अविभाजित है तथा मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विपक्षी बिना विधिवत बंटवारा हुए कभी आराजियात में कभी गाड़ देता है और कभी खेत नं. मु. जाहता चाह तालाब 764 की हुई की भूमि 0.05 है. है उसको कब्जे में कर लेना चाहता है और प्रार्थीगण के कब्जे में दखलदाजी करता रहता है तथा उस हुई की भूमि का उपयोग उपभोग नहीं करने देना चाहता है। वादग्रस्त आराजियात पर जबरन निर्माण करवाना चाह रहा है। प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षी के विरुद्ध का फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी प्रा० पत्र की मद संख्या 1 में अंकित आराजियात में चाह तालाब 764 रकबा 0.05 है. में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करें तथा न किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक प्रयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थीगण को उनके	

कब्जे से बेदखल नहीं करे। प्रार्थीगण के कब्जे में दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावें।

प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 8.7.2016 को दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

विपक्षी की ओर से प्रा० पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने इस प्रा०पत्र में प्रत्यु के अन्य वारिसान को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है जिससे आवश्यक पक्षकारान के अभाव में प्रा० पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में वरवक्त सुनवाई प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि प्रार्थीगण की प्रा० पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार प्रा० पत्र स्वीकार फरमाया जावें। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौरान बहस प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

विपक्षी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रा० पत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर गहनता से मनन किया।

प्रा० पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी किता 11 रकबा 2.99 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी के नाम 1/2 - 1/2 हक हिस्से से संयुक्त खातेदारी अधिकार से दर्ज रेकार्ड होना (जमाबन्दी सं० 2069 से 2072 में) पाया जाता है।

वादग्रस्त आराजियात प्रत्यु S/o घीसा गाडरी

के समय से चली आ रही है। डालू की मृत्युपर
गलत तरीके से इन्तकाल केवल प्रार्थीगण एवं
विपक्षी सं. 1 के नाम ही खुला जबकि डालू के
सजरे अनुसार अन्य वारिसान भी जिन्दा होकर
वादग्रस्त आराजियात में खातेदार है एवं इसी
अनुसार वर्तमान में उक्त सभी वारिसान वादग्रस्त
आराजियात पर मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण ने
प्रा० पत्र में डालू के अन्य वारिसान को पक्षकार
के रूप में संयोजित नहीं किया जबकि वे आवश्यक
पक्षकार थे। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया
मामला नहीं पाया जाता है तथा सुविधा
सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष
में निहीत नहीं है। विपक्षी रेकार्डेड खातेदार
है। अतः रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध यह
न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित
नहीं समझता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार
प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A
का सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार योग्य
पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण के प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A में
डालू S/o घीसा गाडरी के अन्य वारिसान को
पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया
जाने से एवं विपक्षी रेकार्डेड खातेदार होने से
विपक्षी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी
नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण
का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A का
खारिज किया जाता है।
पत्रावली बाद तामील रजिस्टर के
फैसल मुताबिक होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।